संख्या 5/2021/27/सत्रह-म-2021-6-9(6)/2020

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 09 जनवरी, 2021

विषय- मत्स्य विभाग के नियंत्रणाधीन मत्स्य पालक विकास अभिकरण में मानदेय/नियत वेतन/संविदा के आधार पर सेवायोजित कार्मिकों को संविदा धनराशि व अन्य सुविधाओं की अनुमन्यता के निर्धारण के सम्बंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वेतन समिति(2008) के पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2011 के माध्यम से मानदेय /नियत वेतन/ संविदा कर्मचारियों के सम्बंध में की गयी संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-562/दस-54 (एम)/2008 टीसी दिनांक 30 अगस्त,2013 निर्गत किया गया है, जिसके क्रम में विभागीय शासनादेश निर्गत किया जाना आवश्यक है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के उक्त शासनादेश दिनांक 30 अगस्त, 2013 में उल्लिखित प्राविधानों/निर्णय के अनुरूप, दिनांक 30 अगस्त, 2013 से मत्स्य विभाग के नियंत्रणाधीन 19 जनपदों में स्थापित मत्स्य पालक विकास अभिकरण में मानदेय/नियत वेतन/संविदा के आधार पर सेवायोजित कार्मिकों को संविदा धनराशि व अन्य सुविधाओं की अनुमन्यता/निर्धारण के संबंध में निम्नवत निर्देश निर्गत किये जाते हैः-

(1) संविदा के आधार पर सेवायोजित कार्मिकों को सम्बन्धित पद पर दिनांक 30.08.2013 को प्राप्त हो रहे वेतनमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का न्यूनतम तथा उस पर राज्य कर्मचारियों को समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के समान धनराशि को जोडते हुए संविदा राशि उन्हीं कार्मिकों को अनुमन्य करायी जाय, जो पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखते हों तथा जिनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से विज्ञापन निकालकर निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।

(2) जिन संविदा कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता व अन्य भत्ते आदि मिल रहे हों, उन्हें वर्तमान संविदा अवधि में यथावत बनाये रखा जाये तथा संविदा अवधि की समाप्ति पर नयी संविदा निर्धारित करते समय उक्त भत्ते न दिये जॉय और संविदा धनराशि पूर्व उप प्रस्तर-(1) के आधार पर अनुमन्य करायी जाय।

(3) भविष्य में नियमित पदों के विरूद् संविदा पर नियुक्तियां न की जायें, अन्यथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(4) संविदा/मानदेय/नियत वेतन के कर्मचारियों को वर्ष में 20 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाय तथा महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश राजकीय कर्मचारियों की भांति दिया जायें।

(5) ऐसे विशिष्ट पदों जिन पर संविदा /मानदेय/ नियत वेतन पर नियुक्तियां की गयीं हैं और उक्त प्रकार के पद मत्स्य विभाग के नियमित अधिष्ठान में उपलब्ध नहीं है तो भविष्य में उन पदों से सम्बंधित कार्य सेवा-प्रदाता के माध्यम से लिये जाने के सम्बन्ध में केस-टू-केस आधार पर परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

3- कृपया उपर्युक्त निर्देशों से समस्त संबंधित संस्थाओं को अवगत कराते हुए इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4- उक्त शासनादेश वित्त विभाग की सहमति एवं सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 5/2021/27(1) /सत्रह-म-2021 तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रयागराज, उ0प्र0।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ ।
(4) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अधिशाषी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उ0प्र0 ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
(6) समस्त उप निदेशक मत्स्य उ0प्र0।
(7) समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उ0प्र0।
(8) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग-2
(9) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एस0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com